भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1222
सोमवार, 21 सितम्बर, 2020/30 भाद्रपद, 1942 (शक)

महिला श्रमिकों की सहभागिता दर

1222 डा. विकास महात्मे:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास वर्तमान में काम-काजी महिलाओं की संख्या के संबंध में कोई आंकड़े उपलब्ध हैं;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में क्षेत्र-वार नियोजित महिलाओं की अनुमानित संख्या कितनी-कितनी है;
(ग) महिला श्रमिकों की सहभागिता दर में कमी आने के क्या कारण हैं;
(घ) सरकार द्वारा देश में महिला श्रम बल की सहभागिता दर में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ङ) 16 वीं लोकसभा के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में महिला श्रमिकों के योगदान को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास किस हद तक सफल हुए हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ड.): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान आयोजित किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, देश में सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) आधार पर 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिलाओं का अनुमानित महिला कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) क्रमशः 22.0% एवं 23.3% है। 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान व्यापक उद्योग श्रेणी की सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) आधार पर महिला कामगारों का प्रतिशत वितरण अनुबंध में दिया गया है।

सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में सुधार के लिए अनेकों पहल की हैं। महिलाओं के रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए, महिला कामगारों के लिए कार्य का अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु विभिन्न श्रम कानूनों में अनेक सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं। इनमें बाल देख-भाल केंद्र, सवेतन प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना, 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा के प्रावधानों का उपबंध, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति देना आदि शामिल हैं। सरकार ने सभी श्रेणी के कर्मचारियों को संध्या 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच खुली खुदाई वाले कामकाज तथा भूमिगत कामकाज में सुबह 6 बजे से संध्या 7 बजे के बीच तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्य, जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी सहित भूमि के ऊपर खदानों में महिलाओं को रोजगार की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

मजदूरी संहिता, 2019 यह व्यवस्था करता है कि समान नियोक्ता द्वारा मजदूरी से संबंधित मामलों में लिंग के आधार पर कर्मचारियों के बीच किसी प्रतिष्ठान या किसी भी इकाई में समान कार्य या समरूप प्रकृति के कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रोजगार की स्थिति में समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए किसी भी कर्मचारी की भर्ती करते समय लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि जहां इस तरह के कार्य में महिलाओं का रोजगार उस समय प्रवर्तित किसी भी कानून द्वारा उसके तहत प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध हो।

इसके अतिरिक्त, महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

सरकार राष्ट्रीय रोजगार सेवा के रूपांतरण हेतु राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है जहां रोजगार तलाश, रोजगार मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों संबंधी सूचना इत्यादि जैसी विविध रोजगार संबंधी सेवाएं एनसीएस परियोजना के तहत एक साझा डिजीटल मंच पर प्रदान की जा रही हैं। एनसीएस पोर्टल पर महिलाओं के लिए रोजगार को विशेष रूप से महिला विशिष्ट विंडो में प्रदर्शित किया जाता है।

*****

अनुबंध

राज्य सभा के दिनांक 21.09.2020 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1222 के भाग (क) से (ङ) का उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएलएफएस (2017-18) एवं पीएलएफएस (2018-19) के दौरान व्यापक उद्योग श्रेणी का सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) आधार पर महिला कामगारों का प्रतिशत वितरण

एनआईसी 2008 के अनुसार व्यापक उद्योग विभाजन	2017-18	2018-19
कृषि	57.0	55.3
खनन और उत्खनन	0.2	0.2
विनिर्माण	12.5	12.8
विद्युत, जल आदि	0.2	0.2
निर्माण	5.0	5.5
व्यापार, होटल और रेस्तरां	6.3	6.7
परिवहन, भंडारण और संचार	1.1	1.0
अन्य सेवाएं	17.8	18.2
कुल	100.0	100.0